18

300
7.8.15

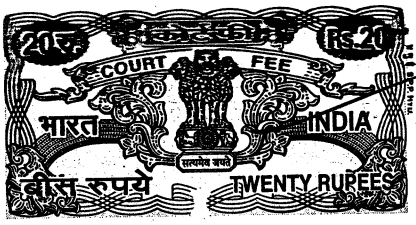

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

निग० 2875-तीन/15

वीरेन्द्र कुमार मिश्रा तनय श्री दीनबन्धु मिश्रा, उम्र 46 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम नेमूहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल चन्नौड़ी, तहसील जैतपुर, जिला शहड़ोल, (म.प्र.)

.... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

लखनलाल शर्मा तनय श्री ददोलेराम शर्मा, उम्र 64 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त शिक्षक, निवासी ग्राम नेमूहा, रा.नि.मं. चन्नौड़ी, तहसील जैतपुर, जिला शहड़ोल, (म.प्र.)

.... अनावेदक/गैर निगराकार

श्री श्यामनारायण पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 07-8-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील जैतपुर, जिला शहड़ोल, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 22/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं</u> :-

1. यह कि आवेदक/निगराकार विगत 30 वर्षों से आराजी ख. नं. 181/2, रकबा 0.081 हेक्टे. में बाउण्ड्री बनाकर कब्जा है जो आवेदक के मकान के सामनें स्थित है, विधिवत उपयोग व उपभोग कर रहा है। आवेदक उक्त आराजी पर बाउण्ड्री का निर्माण कर लिया है और उक्त आराजी आवेदक के कब्जे, दखल में है। अनावेदक द्वारा कभी कोई आपत्ति नही की गई।

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

वीरेन्द्र कुमार मिश्रा/लखनलाल शर्मा

प्रकरण कमांक निग0 2875–तीन/15 **जिला –शहडोल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील जैतपुर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 22/अ–70/2014–15 आदेश दिनांक 21–07–2015 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराया था, जिसमें सर्वे क. 181/2 पर आवेदक का कब्जा 0.081 है0 में पाया गया था । सीमांकन के पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक के कब्जे में कोई व्यवधान नहीं किया । परन्तु बाद में दिनांक 17–3–15 को तहसीलदार जैतपुर के समक्ष धारा –250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर आवेदक ने यह आपत्ति प्रस्तुत की कि वह वादग्रस्त भूमि पर 30 वर्ष के पूर्व से काबिज है । सीमांकन वर्ष 2003–04 में किया गया । उसके आधार पर 2 वर्ष के भीतर कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की गई । अतः धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती । तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी । तथा प्रकरण साक्ष्य के लिये निर्धारित कर दिया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है ।	

R 2875-III/15 अलsoड

प्रकरण के अवलोकन तथा आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने । इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक विचाराधीन भूमि का सीमांकन वर्ष 2003 में करना तथा उस पर आवेदक का कब्जा होना बता रहा है । एवं 30 वर्ष पुराना कब्जा होने के कारण धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती, ऐसा तर्क दिया गया है । तहसीलदार ने धारा –250 की कार्यवाही मई 2015 में आवेदक द्वारा बेजा कब्जा बाउन्ड्रीवाल करके किया जाना मानते हुए धारा –250 की कार्यवाही प्रारम्भ की है । आवेदक द्वारा पूर्व में दिनांक 29–05–2003 को खसरा नं. 181/2 के सीमांकन पंचनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । जिसमें खसरा नं0 181/2 वीरेन्द्र कुमार का कब्जा 0.081 है0 पर पाया गया । इससे स्पष्ट है कि विवाद इस बात का है कि आवेदक का विचाराधीन भूमि पर कब्जा कितने वर्ष पुराना है । अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक तहसील न्यायालय में अपने कब्जे के संबंध में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें, तथा तहसीलदार इस संबंध में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य प्रसतुत करने का अवसर दे तथा स्वयं स्थल निरीक्षण के पश्चात धारा– 250 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही करें ।

सदस्य